योजना का उद्देश्य – राज्य में अंडा उत्पादन में वृद्धि / राज्य को अंडा उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाना / मानव उपयोग के निमित्त पशु जन्य प्रोटीन (अंडा एवं मांस की उपलब्धता) सुनिश्चित करना / लाभकारी रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना।

योजना का मुख्य अवयव (Component) – निजी क्षेत्र में लेयर मुर्गी फार्म (1000, 5000 एवं 10000 लेयर मुर्गी की क्षमता वाले) की स्थापना लागत पर अनुदान सामान्य जाति के लाभुकों हेतु 30 प्रतिशत एवं एवं अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के लाभुकों हेतु 40 प्रतिशत तथा बैंक ऋण के ब्याज (Interest Component) पर 50 प्रतिशत अनुदान देकर मुर्गी फार्म की स्थापना हेतु प्रोत्साहित किया जा रहा है। वर्श 2017–18 में सामान्य जाति के 25 लाभुकों (10000 क्षमता) एवं 33 लाभुकों (5000 क्षमता) अनुसूचित जाति के 45 लाभुकों (1000 क्षमता) एवं अनुसूचित जनजाति के 15 लाभुकों (1000 क्षमता) अर्थात् कुल 118 लाभुकों को लेयर मुर्गी फार्म के स्थापना हेतु अनुदान देने पर रू0 1300.65 लाख (तेरह करोड़ पैंसठ हजार मात्र) का व्यय होना अनुमानित है।

अनुदानित दर पर लो इनपुट प्रजाति के चूजों का वितरण की योजना

- इस योजना के तहत लो इनपुट टेक्नोलॉजी से विकसित लो इनपुट वेराइटी कलर चूजों का अनुदानित दर पर वितरण जीविका के माध्यम से किइअया जाएगा।
- इस योजना के तहत जीविका के स्वयं सहायता समूहों के इच्छुक सदस्यों अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति का चयन कर प्रति परिवार लो इनपुट प्रजाति के 28 दिवसीय कुल 45 चूजों को अनुदानित दर पर वितरण किया जाएगा।
- लाभुकों को दिये जाने वाले चूजों को सुरक्षित रखने हेतु केज का निर्माण किया जाएगा, जिसके लिए प्रति केज लाभुकों को 1000 रूपये का अनुदान देय होगा।
- वित्तीय वर्श 2017–18 में संगत योजना के तहत अनुसूचित जाति के लगभग 12452 लाभुकों तथा अनुसूचित जनजाति के लगभग 1114 लाभुकों अर्थात कुल 13566 लाभुकों को इस योजना का लाभ दिया जाएगा, जिसके लिए कुल रू0 501.942 लाख पॉच करोड़ एक लाख चौरानवे हजार दो सौ मात्र का खर्च होना अनुमानित है।

Sanjivni Art Computer. Ph : 9334116638

बिहार राज्य के पशुपालक हितार्थ नई योजनाएँ
पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग द्वारा प्रायोजित

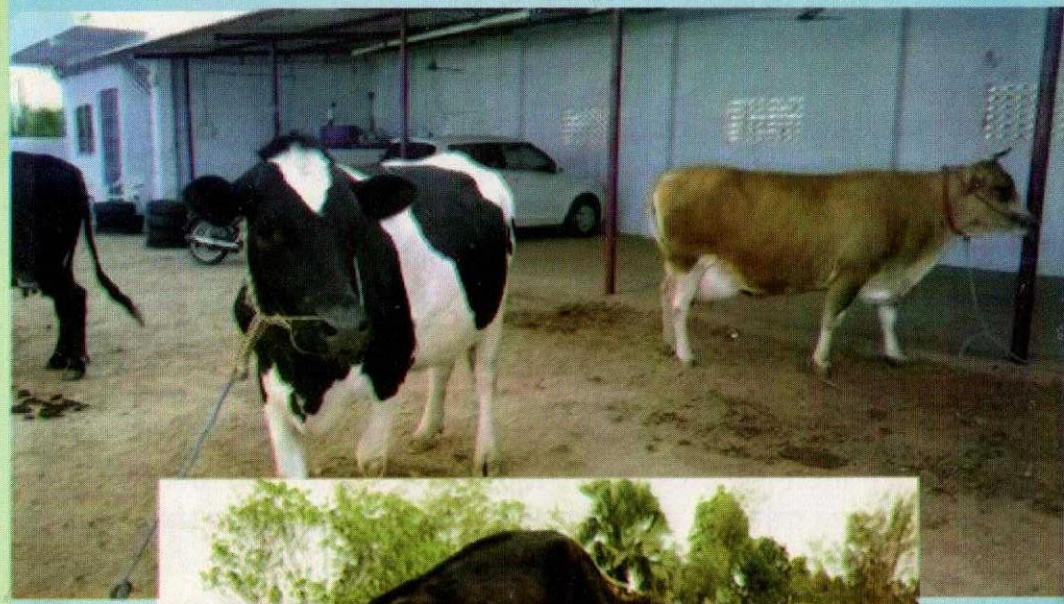

बिहार पशुविज्ञान विश्वविद्यालय
पटना कैंपस

1. समग्र गव्य विकास योजना :–

उक्त योजना ग्रामीण क्षेत्र के कृशकों, बेरोजगार युवक– युवतियों के लिए है। इस योजना के तहत सामान्य जाति के लिए 50 प्रतिशत एवं अनु0 जाति तथा जनजाति के लिए 66.66 प्रतिशत सब्सिडी का प्रावधान है।

योजना के उद्देश्य : इस योजना के मुख्य उद्देश्य राज्य के सभी वर्गों के कृशकों/दुग्ध उत्पादकों/शिक्षित युवक–युवतियों के लिए स्व–रोजगार का अवसर और आधारभूत संरचना उत्पन्न कर उनके आय में अभिवृद्धि करना है तथा श्रेश्ठ प्रजनन स्टॉक के संरक्षण और विकास के लिए हीफर बाछी पालन को प्रोत्साहित करना है। व्यापारिक स्तर पर दूध की गुणवत्ता को अक्षुण्ण रखते हुये पांरपरिक प्रोद्योगिकी को अद्यतन करना और दुग्ध जनित पदार्थों का उत्पादन करके दूध के मूल्य को सवंर्धित कर गव्य प्रक्षेत्र में संरचनात्मक परिवर्तन लाना है।

कार्य क्षेत्र :– राज्य अंतर्गत सभी जिला में दुधारू मवेशी एवं बाछी पालन इकाई की स्थापना। राज्य अंतर्गत मात्र 10 जिला में यथा नवादा, अरवल, औरंगाबाद, गोपालगंज, शेखपुरा, पूर्णियॉ, कटिहार, मधेपुरा, किशनगंज एवं अररिया में मिल्कींग मशीन, मिल्कोटेस्टर, बल्क मिल्क कूलर एवं देशी दुग्ध उत्पाद के निर्माण हेतु दुग्ध प्रसंस्करण संयंत्र यथा पनीर, खोआ, घी एवं आईसक्रीम संयंत्र की स्थापना।

कियान्वयन एजेंसी :– संबंधित जिला के जिला गव्य विकास पदाधिकारी।

2. समेकित बकरी एवं भेड़ विकास योजना

वित्तीय वर्श 2017–18 में इस योजना के तहत दो प्रकार की योजनाओं का कियान्वयन किया जाएगा।

- उन्नत नस्ल के तीन प्रजनन योग्य (एक ईकाई) बकरी का जीविका के माध्यम से निःशुल्क वितरण।
- उन्नत नस्ल के बकरी–बकरा सुनिश्चित करने हेतु निजी क्षेत्र में Goat Farm की स्थापना पर 50 प्रतिशत अनुदान।

योजना के उद्देश्य :

1. राज्य में बकरी/बकरा उत्पादन से मानव उपयोग के निमित पशुजन्य प्रोटीन की उपलब्धता में वृद्धि।
2. उन्नत नस्ल के बकरी/ बकरा के उत्पादन में राज्य की आत्म निर्भरता।
3. रोजगार के अतिरिक्त अवसर का सृजन।
4. बकरी पालकों की आय में वृद्धि।
5. बकरी/बकरा मॉस उत्पादन में वृद्धि।
6. अनुसूचित जाति/जनजाति के इच्छुक बकरी पालकों के बीच आर्थिक समृद्धि एवं स्वरोजगार का सृजन।

योजना के मुख्य अवयव

1. निजी क्षेत्रों में Goat Farm (20 बकरी एवं 01 बकरा क्षमता) तथा (40 बकरी एवं 02 बकरा क्षमता) की स्थापना पर 50 प्रतिशत (अधिकतम क्रमशः रूपये 1.00 लाख तथा 2.00 लाख प्रति Goat Farm) अनुदान।
2. वित्तीय वर्श 2017–18 में सामान्य घटक के तहत कुल (20 बकरी एवं 01 बकरा क्षमता) की 309 ईकाई एवं (40 बकरी एवं 02 बकरा क्षमता) की 156 ईकाई तथा अनुसूचित जातियों के लिए विशेश घटक के तहत (20 बकरी एवं 01 बकरा क्षमता) की 60 ईकाई तथा (40 बकरी एवं 02 बकरा क्षमता) की 150 ईकाई तथा अनुसूचित जातियों के लिए विशेश घटक के तहत (20 बकरी एवं 01 बकरा क्षमता) की 60 ईकाई तथा (40 बकरी एवं 02 बकरा क्षमता) की 14 ईकाई की योजना पर लाभुकों को 50 प्रतिशत अनुदान निर्धारित है।
3. जीविका मे माध्यम से उन्नत नस्ल के तीन प्रजनन योग्य (एक ईकाई) बकरी इच्छुक बकरी पालकों / गरीब बकरी पालकों के बीच निःशुल्क वितरण।
4. वित्तीय वर्श 2017–18 में सामान्य घटक के तहत 1262 परिवारों, अनुसूचित जातियों के लिए विशेश घटक के तहत 2500 परिवारों तथा जनजातिय क्षेत्र उपयोजना के तहत 241 परिवारों को लाभान्वित किया जाना निर्धारित है।

3. समेकित मुर्गी विकास योजना

वित्तीय वर्श 2017–18 में इस योजना के तहत दो प्रकार की योजनाओं का कियान्वयन किया जाएगा।

- लेयर मुर्गी पालन को बढ़ावा देने हेतु अनुदान की योजना
- अनुदानित दर पर लो इनपुट प्रजाति के चूजों का वितरण की योजना

लेयर मुर्गी पालन को बढ़ावा देने हेतु अनुदान की योजना

योजना – लेयर (अंडा देने वाली मुर्गी) फार्म एवं फीड मिल (दाना संयत्र) स्थापना , व्यय एवं बैंक ऋण ब्याज पर अनुदान की योजना।